

करणीय (Do's)

1. जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश दिया गया है उन्हें छात्रावास में स्थान लेने से पहले 'छात्र आवंटन विवरण प्रपत्र' को भरना आवश्यक है। इसके लिये उन्हें अभिरक्षक के कार्यालय में अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा कराना जरूरी है। इस रिकार्ड से सम्बन्धित जानकारीयों में किसी भी तरह के बदलाव को समय-समय पर अद्यतन किया जाना भी आवश्यक है।
2. छात्रावास के प्रत्येक अन्तःवासी को प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अन्तःवासी को छात्रावास से बाहर रुकने अथवा शहर से बाहर जाने की लिखित पूर्व सूचना देना भी अनिवार्य है।
3. छात्रों के लिये सामान्य सूचना छात्रावास/मैस के नोटिस बोर्ड पर दी जाती है। अतः छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सूचनाओं को नियमित रूप से देखें। उल्लेखनीय है कि छात्रों को किसी सूचना की जानकारी न होना छात्रावास के नियमों में किसी भी प्रकार की छूट अथवा लाभ प्राप्ति का आधार नहीं माना जा सकता।
4. छात्रावास प्रशासन द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण, मेन्टीनेन्स, डिसइन्फेक्शन अथवा मरम्मत कार्यों हेतु छात्रों को अपना कमरा मुहैया कराना आवश्यक है।
5. छात्रों (पुरुष) को रात्रि 11:00 बजे अथवा केन्द्रीय पुस्तकालय बन्द होने से आधे घण्टे बाद (इनमें से जिसका भी समय बाद में हो) तक अपने छात्रावास में वापस आ जाना अनिवार्य है।
6. कोई भी अन्तःवासी जो रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच छात्रावास परिसर से बाहर जा रहा है। उसे छात्रावास रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जिसमें गतव्य स्थान और आने व जाने के समय का उल्लेख होगा। उल्लेखनीय है कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति केवल पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कम्प्यूटर रूम से सम्बन्धित कार्यों हेतु ही प्रदान की जायेगी।
विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने की स्थिति में छात्र को अपने गंतव्य स्थान और अनुपस्थिति के समय की लिखित पूर्व सूचना सम्बन्धित छात्रावास अभिरक्षक को देनी होगी।
7. छात्रावास तथा विश्वविद्यालय परिसर में अपना वैध परिचय-पत्र हमेशा अपने साथ रखे तथा छात्रावास अधिकारियों अथवा गार्ड द्वारा मांगने पर उन्हें दिखाये।
8. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, समूह अथवा क्रियाकलाप के बारे में सुरक्षा-गार्ड और छात्रावास कर्मचारियों को जानकारी दे।
9. छात्र केवल विश्वविद्यालय अवकाश/छुट्टियों में ही 'मैस रिबेट' ले सकते हैं। तीन अथवा तीन से ज्यादा दिन की अनुपस्थिति की दशा में छात्र को तभी 'मैस रिबेट' दिया जायेगा। जब वह अनुपस्थिति के दिन से तीन दिन पूर्व वार्डन कार्यालय को इससे सम्बन्धित सूचना देगा।
10. मैस का समय निम्नवत है:- (छात्रों के लिये इस समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है)
 - (i) नाश्ता - सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे
 - (ii) लन्च - दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे

Do's

1. Students given accommodation in a Hostel must fill in the student accommodation record and take possession of their room and furnishings under their own signature. They must also submit a copy of their recent passport size photograph to the Warden's office for this purpose. This record must be updated for any subsequent changes
 2. All residents of the hostel will have to sign on daily basis in the attendance register available in the hostel office. Residents will also provide written information of their leaving the hostel for the night or out of station
 3. General information for students shall normally be provided through notice boards of hostel/mess. All residents are advised to keep themselves updated about new notices. Ignorance of notice board will not serve as an excuse to get any sort of exemption or benefit.
 4. Students shall be required to make their rooms available whenever required for repairs, maintenance, disinfection & inspection.
 5. Male residents should be back in their respective Hostels latest by the 11 p.m. or by half an hour after time for central library closing time, whichever is later.
 6. Any resident of Hostel going out of premises between 10pm and 6am must sign a register, indicating his/her destination and time of out/return. It may be noted that the permission to stay away from the Hostel during 10:00 p.m. - 6:00 a.m. can only be granted when the resident is required to work in library, laboratory, computer room etc. For longer off-campus stay, a resident must indicate his/her destination and expected duration of absence in writing to the concerned Warden.
 7. Carry your valid Identity Card at all times in the compound of the Hostel complex and produce it on demand by the Hostel authorities and the security guard on duty
 8. Report to the security and Hostel Staff regarding any suspected person, group of persons and dubious activities.
 9. A student can claim mess rebate during official University holidays/Vacations only. Any student who remains absent for three or more than three days and submits his/her application for mess reduction in the Warden office, 3 days in advance, will be eligible for mess rebate
 10. The mess timings are as follows and the students should strictly adhere to these timings:

a.	Breakfast	:	07:00 a.m.	to	9:00 a.m.
b.	Lunch	:	12:30 p.m.	to	2:30 p.m.
c.	Snacks	:	05:30 p.m.	to	6:30 p.m.
d.	Dinner	:	07:30 p.m.	to	9:30 p.m.
- However, Mess timings may be changed by the hostel authorities. Any change in timings will be informed through hostel/mess notice boards.

(iii) स्नैक्स - सायं 5:30 बजे से 6:30 बजे

(iv) डिनर - रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे

यद्यपि मैस का समय छात्रावास अधिकारियों द्वारा बदला जा सकता है जिसकी सूचना छात्रावास /मैस नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।

11. छात्रों के छात्रावास में केवल पुरुष और लड़कियों के छात्रावास में केवल लड़कियाँ गेस्ट के रूप में रुक सकते हैं। किसी भी तरह के गेस्ट विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही रोके जायेंगे। वर्तमान के विश्वविद्यालय नियमानुसार छात्र के माता, पिता, भाई और बहन ही सीमित समय के लिये 100 रुपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के गेस्ट चार्ज के साथ छात्रावास में रोके जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें मैस-चार्ज शामिल नहीं है और गेस्ट को रोकने के लिये अभिरक्षक की अनुमति तथा जगह की उपलब्धता एक शर्त है।
12. छात्रों के गेस्ट को मैस में आने की अनुमति तभी दी जायेगी जब निर्धारित चार्ज के साथ अभिरक्षक से पूर्व अनुमति ली गयी है
13. प्रत्येक अन्तःवासी द्वारा छात्रावास-शुल्क का भुगतान नियतअन्तराल और मांग पर किया जाना आवश्यक है।
14. प्रत्येक अन्तःवासी छात्रावास की उन तमाम वस्तुओं के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिनका वह उपयोग करता है। यदि कोई छात्र अथवा छात्रों का समूह किसी भी वस्तु के 'डैमेज' (तोड़फोड़) के लिये जिम्मेदार पाया गया तो उसे/उन्हे सम्बन्धित वस्तु की भरपाई हेतु दण्ड भरना होगा और इसके लिये उस/उनपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिरक्षक/मुख्य अभिरक्षक का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
15. बाहर जाते समय प्रत्येक अन्तःवासी को अपने कमरे में बिजली से सम्बन्धित सभी उपकरण बन्द करने होंगे। अन्तःवासी मैस, कामनरूम, विजिटर्स रूम तथा छात्रावास के किसी भी अन्य रूम से किसी प्रकार की किसी वस्तु को हानि नहीं पहुँचायेगा। अन्तःवासी अपने कमरे से बिजली से सम्बन्धित कोई भी 'फिक्सचर्स' नहीं हटायेगा। इसके अलावा वह किसी भी प्रकार के ऐसे गैजेट का उपयोग नहीं करेगा जिसकी अनुमति छात्रावास द्वारा नहीं दी गयी हो।
16. प्रत्येक अन्तःवासी को अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी होगी। जिसके लिये वह अपने कमरे में खुद का ताला लगा सकता है।
17. किसी भी अन्तःवासी को बिना 'गेट पास' (वार्डन द्वारा जारी) के अपना सामान छात्रावास परिसर के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
18. किसी भी इन्टरनेट पोर्ट/केबल की क्षति के लिये सम्बन्धित छात्र जिम्मेदार होगा।
19. छात्र अपनी शिकायत, दिये गये रजिस्टर में दर्ज करेगा और अपनी उपस्थिति में सम्बन्धित सटीक जानकारी देगा।
20. छात्रावास परिसर में अनुमन्य वस्तुएं-
 - (i) तकिया (x) बैग (लैपटॉप स्कूल बैग)
 - (ii) कम्बल (xi) रैनकोट या छाता
 - (iii) बेडसीट (xii) रीडिंग लैम्प
 - (iv) मच्छरदानी (xiii) प्लास्टिक हेंगर
 - (v) प्लास्टिक कट्लेरी (xiv) किताबें, नोटबुक आदि
 - (vi) प्लास्टिक की बाल्टी, मग, गिलास (xv) हेयर ड्रायर
 - (vii) पैडलाक और की-रिंग (xvi) सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमन्य अन्य सामान
 - (viii) टार्च लाईट (ix) बैटरी

11. Only men can stay as guests in men's Hostel and only women can stay as guests in women's Hostel. Any kind of guest stay shall be in accordance to the University norms. Presently genuine guest (mother, father, brother, sister etc.) of a student can be allowed (depending on the availability and Warden's satisfaction) to stay for a limited period by paying Rs. 100 (Hundred Rupee Only) per person per day as the guest charge, which exclude any mess charge.
12. Guests of the students are allowed in the mess only with prior permission of the Hostel Warden and on the payment of the applicable charges
13. The residents shall make payment of all Hostel dues as per prescribed intervals and on demand.
14. Every resident is responsible for safe-keeping of the Hostel property he uses. Residents found responsible for any damage or loss of the Hostel property will be fined worth its value, individually or collectively, as the case may be. And they will also be liable to disciplinary action. The decision of the Warden/Provost will be final in this regard.
15. Residents shall switch-off the lights, including table light, fans and other electrical gadgets of his rooms while going out. The residents must not remove any property from the dining hall, common rooms, or the visitor's rooms or any other room of the Hostels. The residents must not remove the electrical fixtures in their rooms in the Hostel premises or use any unauthorized electrical gadgets
16. The residents should take care of their personal belongings and use their own locks in the rooms
17. No resident is permitted to take away his belongings from the Hostel premises without a proper gate pass/written permission issued by the Warden
18. Concerned resident will be responsible for any loss/damage of the internet port/cable.
19. Students will register their complaints in the prescribed register and shall also provide accurate information about their availability.
20. Following is the list of allowed items in the GBU Hostel premises.

S. No	ITEM	S. No	ITEM
1	Pillow	9	Batteries
2	Blanket	10	Bag (Laptop School Bag)
3	Bed Sheet	11	Raincoat or Umbrella
4	Mosquito Net	12	Reading Lamp
5	Set of Plastic Cutlery	13	Plastic Hangers
6	Plastic Bucket, Mug, Glass	14	Exercise Books, Hard Cover Note Books and other writing materials etc
7	Padlock and key Ring	15	Hair-Drier
8	Torch Light	16	Other items allowed by the competent authority

21. Students must check that all items supplied by the University are available in his/her room in the proper condition. Any issues must be reported to the concerned Hostel staff.
22. Residents shall respect the right of each individual to express his/her ideas. However, party based political campaigning is strictly prohibited.

21. प्रत्येक छात्र को यह जांच लेना चाहिए कि उनके कमरे में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सभी सामान सही स्थिति में मौजूद है। किसी भी तरह की समस्या आने पर छात्रावास कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें।
22. प्रत्येक छात्र को हर व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। यद्यपि से किसी पार्टी की विचारधारा या राजनीति पर आधारित किसी भी तरह केम्पेनिंग अनुमन्य नहीं है।

अकरणीय (Don'ts)

1. किसी भी प्रोग्राम के विद्यार्थी के द्वारा मोटर चालित वाहन रखना विश्वविद्यालय के नियमों का गम्भीर उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय 'जीरो टॉलेरेन्स पॉलसी' का अनुकरण करती है। इस तरह के नियम उल्लंघन पर वाहन को जब्त कर छात्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया जाएगा।
2. अंतःवासी की गैरमौजूदगी में छात्रावास के कमरे में विजिटर के रुकने पर सख्त पाबंदी है।
3. अतिरिक्त फर्नीचर की मांग को किसी भी स्तर पर प्रश्रय नहीं दिया जाएगा।
4. छात्रावास परिसर में छात्रों द्वारा भोजन बनाना सख्त मना है।
5. अंतःवासी किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि, शराब सेवन अथवा अशोनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की नशीली वस्तु, एल्कोहल आदि के सेवन सख्त पाबंदी है।
6. सम्बंधित छात्रावास अभिरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर छात्रों द्वारा किसी भी तरह की मीटिंग करने पर सख्त पाबंदी है।
7. छात्र मैस से प्लेट, चम्मच, ग्लास जैसा कोई भी सामान अपने रूम पर नहीं ले जा सकते।
8. छात्रों को किसी भी स्थिति में मैस में अपने अनुसार भोजन बनाने की अनुमति नहीं है।
9. अपने रूम की चाभी किसी अन्य व्यक्ति को न दे।
10. अपने कमरे को थोड़े समय के लिए भी खुला (बिना ताले के) न छोड़ें।
11. किसी भी अपरिचित व्यक्ति को छात्रावास में न लायें। किसी गेस्ट के आने की स्थिति में रजिस्टर में प्रवेश का विवरण अवश्य दें। किसी अति आवश्यक कार्य के लिए नाईट स्टे की स्थिति में अभिरक्षक की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
12. छात्रों को सलाह दी जाती है, कि किसी भी अजनबी से किसी तरह का कोई डील न करे छात्रावास परिसर में किसी भी तरह की खरीददारी, सेलिंग आदि की अनुमति नहीं है।
13. किसी अन्य व्यक्ति के कमरे पर न सोयें और किसी अन्य व्यक्ति को अपने कमरे पर न सोने दें।
14. छात्रावास परिसर में जिन वस्तुओं की अनुमति नहीं है उनकी लिस्ट इस प्रकार है-
(i) खाना बनाने से सम्बंधित सामान जैसे बर्तन सॉसपैन, ब्लेन्डर, ग्रिलर्स, होट प्लेट्स और टोस्टर्स आदि।

Don'ts

1. Possession of a powered vehicle by students of all academic programmes is a serious violation of the University policy. University will strictly follow zero tolerance policy for powered vehicle. The violation of this policy may occur in the confiscation or custody of the vehicle which will be in addition to the disciplinary action and financial penalty
2. For a visitor to stay in a Hostel room in the absence of the resident is strictly prohibited.
3. Demand for additional furniture or any other item will not be entertained.
4. Cooking of the food (by students) in hostel premises is strictly prohibited
5. The residents must not indulge in any act of intimidation or violence and drunken or riotous behavior. Use of narcotics, consumption of alcoholic beverages and gambling in the Hostel are prohibited
6. The Students/Residents shall not hold any meeting within the Hostel premises unless prior written permission of concerned Warden is obtained.
7. Students on no account whatsoever will be permitted to take mess utensils such as plate, spoon, glass, etc, to their rooms.
8. Students are not permitted to cook any food on their own accord in the mess.
9. Do not share your room keys with any person.
10. Do not leave your room open/unattended even for a very short duration
11. Do not entertain unfamiliar people in the Hostel. In case of a guest, proper entry in the register must be ensured. In the urgent case of night stay, prior written permission of the Associate-Warden/Warden is a must.
12. Residents are advised not to have any dealings with strangers or entertain any kind of trading/selling/vending on the campus.
13. Do not sleep in others room and don't allow others to sleep in your room.
14. Following is the list of prohibited items in the GBU Hostel premises.

S. No	ITEM	S. No	ITEM
1	Cooking utensils such as (but not limited to) pots, sauce pans, blenders, grillers, hot plates and toasters.	10	Any form of hard Drugs
2	Landline Phones	11	Cigarettes
3	Raw food Items	12	Electric kettle, Hot plate, Heater
4	Refrigerator	13	Microwave Oven
5	TV Sets, TV Cards, and TV Antenna	14	Rice Cooker
6	Video ,Machine, Video Tapes, DVD & VCD players	15	ng Machine
7	Alcoholic Beverage	16	Theatre System
8	Exercise Machine	17	Ammunition or weapon of assault or any other illegal possession by whatsoever name
9	Audio Amplifiers (Speakers)	18	Other items prohibited by the competent authority

- | | |
|---|--|
| (ii) लैंड लाईन फोन। | (x) किसी भी रूप में हार्ड ड्रग |
| (iii) कच्चा भोज्य पदार्थ। | (xi) सिगरेट |
| (iv) रेफ्रिजरेटर | (xii) इलेक्ट्रॉनिक कैंटल, होट प्लेट, हीटर |
| (v) टी.वी. सेट्स, टी.वी. कार्ड्स, टीवी ऐंटीना। | (xii) माइक्रोवेव अवन |
| (vi) वीडियो मशीन, वीडियो टेप, डी0वी0डी0 और वी0सी0डी0 प्लेयर्स | (xiv) राइस कुकर |
| (vii) ऐल्कोहल युक्त पदार्थ। | (xv) एन जी मशीन |
| (viii) व्यायाम मशीन | (xvi) थियेटर सिस्टम |
| (ix) ऑडियो एम्प्लीफायर (स्पीकर) | (xvii) किसी भी तरह का खतरनाक हथियार |
| | (xviii) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित अन्य समान |

15. Smoking is not allowed in any part of the Hostel.

16. Improper behaviour with fellow students, Staff, Wardens, harassment of Juniors/Seniors, causing of disturbance to others etc will be treated as acts of indiscipline.

17. Indiscriminate fixing of pictures, posters, wall papers or writing of graffiti on the Hostel's wall is considered an act of indiscipline and individual(s) responsible for such act will be held responsible for the damage caused


 Dr. Seema Dwivedi
 Dean Students Affairs
 Dean
 Student Affairs
 Gaurav Buddha University
 Greater Noida

15. छात्रावास के किसी भी इलाके में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।

16. किसी भी तरह का व्यवहार (साथी छात्रों, अभिरक्षक, जूनियर्स, सीनियर्स, आदि के साथ) जो अव्यवस्था फैलाने वाला होगा, वह अनुशासन विरोधी माना जायेगा।

17. छात्रावास की दीवारों पर किसी भी तरह का चित्र पोस्टर, वॉलपेपर, पैम्पलेट चिपकाना अनुशासन हीनता समझा जाता है, और इस पर छात्र अथवा छात्र समूह को अनुशासनहीनता व क्षति के लिये जिम्मेदार माना जायेगा।